बिहार सरकार

समाहरणालय पश्चिम चम्पारण, बेतिया।
(जिला अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय)

प्रेस विज्ञप्ति

अल्पसंख्यक मुस्लिम परित्यक्ता/तलाकशुदा महिलाओं हेतु सहायता योजना

बिहार सरकार द्वारा अल्पसंख्यक मुस्लिम परित्यक्ता/तलाकशुदा महिलाओं की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से वित्तीय सहायता प्रदान कर उन्हें आत्म–निर्भर बनाने हेतु यह योजना वित्तीय वर्ष 2006–07 से संचालित की जा रही है। योजना के तहत प्रत्येक परित्यक्ता/तलाकशुदा महिला को 25000/–(पच्चीस हजार) रूपया दिया जाता है। आवेदन देने वाली महिलाओं की आयु 18 वर्ष से 50 वर्ष की होगी। आयु प्रमाण–पत्र के रूप में जन्म प्रमाण–पत्र, मैट्रिक अथवा समकक्ष का प्रमाण–पत्र जिसमें जन्म–तिथि अंकित हो/ मतदाता प्रमाण–पत्र/ आधार कार्ड/ पासपोर्ट/ कार्यपालक दण्डाधिकारी से निर्गत शपथ–पत्र एवं अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत आय प्रमाण–पत्र वार्षिक स्त्रोत 400000/–(चार लाख) रूपये से कम हो। उक्त योजना के लाभ हेतु आवेदन विहित प्रपत्र में भरकर जिला अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय, पश्चिम चम्पारण, बेतिया में जमा किया जा सकता है।

विशेष जानकारी के लिए दूरभाष सं0–06254–241132 एवं मोबाईल नं0–6287594838 या E-mail id- dmwobettiah1@gmail.com पर सम्पर्क स्थापित किया जा सकता है।

सहायक निदेशक,
अल्पसंख्यक कल्याण,
पश्चिम चम्पारण, बेतिया।

PR- 020894 (M W D) 2025-26

नशे की मार, बर्बाद करे सुखी परिवार।